न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 28/2011

RCMS No. 2011/00052

अपीलाण्ट

1. प्रकाशसिंह पुत्र शिवजीसिंह कच्छवाह जाति माली निवासी सोजतरोड़ तहसील सोजत

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. जुगलकिशोर पुत्र नेनाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी
2. मैसर्स प्रेम कृषि फार्म प्रा0लि0 जरिये डायरेक्टर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति –

1. श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री खुशवन्त सांखला, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31/01/2019

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड का तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम अटबडा के खसरा नम्बर 690 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 691 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 692 रकबा 3.05 हैक्टेयर भूमि मैसर्स प्रेम कृषि फार्म प्रा0लि0 रजिस्टर्ड के नाम दर्ज है। उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 मगरी एवं भाकर है, जिसके पुरान खसरा नम्बर 1358/1 है। उक्त भूमि आवंटन योग्य नहीं थी, इसके बावजूद उक्त भूमि का बचनदान पुत्र भूरदान, चावणदान पुत्र पृथ्वीराज को आवंटन किया गया। उसके पश्चात आवंटीयों द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेचान कर दी तथा बेचान का नामान्तरकरण स्वीकृत करते वक्त भूमि की किस्म परिवर्तित कर दी गई। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेचान की गई। उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिलिंग प्रकरण विचाराधीन है, इस कारण उक्त भूमि सिलिंग प्रभावित भूमि की श्रेणी में आती है। अपीलाण्ट को राजस्थान सरकार से खनन हेतु लीज पर माईन्स दी गई है तथा खसरा न्म्बर

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

692 लीज क्षेत्र में आता है। मोके पर वादस्थ भूमि मगरी के रूप में स्थित है, जिस पर अपीलाण्ट पिछले काफि समय से खनन कार्य करता आ रहा है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स का किसी भी रूप में कब्जा नहीं है। इसके अतिरिक्त राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत काबिल काश्त भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है तथा जैर अपील वादस्थ भूमि मगरी के रूप में अवस्थित है, जो काबिल काश्त नहीं है। इसके अतिरिक्त मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त नहीं है तथा बिना कब्जे की भूमि का बेचान हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे भूमि के कब्जे सम्बन्धी पूर्ण जानकारी एवं सन्तुष्टी के पश्चात नामान्तरकरण की कार्यवाही करें, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रावधानों की पालना नही करते हुए जैर अपील नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील प्रथमतः मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें ऐसा कोई तथ्य जाहिर नहीं किया, जिससे अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जा सके। इसी भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलेक्टर सोजत के समक्ष वाद प्रस्तुत हुआ था, जिससे अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी हो चुकी थी। इस कारण हस्तगत अपील स्पष्टतया मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी भूमि थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेचान की गई है। जहां तक प्रश्न खनन करने का है, तो खातेदारी की सहमति से राज्य सरकार खनन हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करती है तथा उस भूमि पर खनन कार्य किया जा सकता है। मगरी की भूमि का आवंटन किया जाना किसी भी कानून में प्रतिबन्धित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच करते हुए नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। इस सम्बन्ध में आर0एल0आर0 2000 (2) चिमनलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में भी वृहदपीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "No Period of Limitation provided either u/s 27-A of the Act or u/R272 og the Rules for exercising revisional power—Wather revisional power can be exrcised at any time – Held, when no period of limitation is provied either under Act or Rules then power has to exercised within reasonable time and reasonable time will depend upon facts

अति० जिला कलेक्टर, पाली

and circumstances of each case " इस अनुसार युक्तियुक्त समय की संगणना प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करना प्रतिपादित किया है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। हस्तगत अपील ग्राम अटबडा के नामान्तरकरण संख्या 2493 पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 19.04.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जैर अपील नामान्तरकरण जरिये रजिस्टर्ड आम मुख्तियार दिनांक 06.04.2011 को पंजीबद्ध होने पर पंजीबद्ध दस्तावेज की पालना में दायर किया गया है, जिस पर भू0अ0नि0 चण्डावल द्वारा जांच की जाकर वास्ते स्वीकृति नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृति आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार जैर अपील नामान्तरकरण का मुख्य आधार दस्तावेज उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज है। विधिक प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज के प्रभाव में उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित है अथवा नही ? इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि पंजीबद्ध दस्तावेज के प्रभाव में रहते उसके आधार पर दायर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि नामान्तरकरण का आधार दस्तावेज ही वह पंजीबद्ध दस्तावेज है, जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निष्प्रभावी घोषित नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट को भूमि का सिलसिलेवार हुए बेचान हस्तान्तरण के आधार पर राजस्व रेकर्ड में खातेदार अंकित किया हैं। यह भूमि पूर्व श्री बचनदाव व चावणदान को आवंटन की गई थी। जिसे आवंटी द्वारा मैसर्स प्रेम कृषि फार्म को बेचान की गई एवं प्रेम कृषि फार्म द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेचान किया गया। अपीलाण्ट का यह भी उज्र रहा कि वक्त आवंटन भूमि कि किस्म मगरा थी, जो आवंटन योग्य ही नहीं थी, इस कारण आवंटन शून्य था। इन तथ्यों की ताईद नामान्तरकरण संख्या 155 से होती है, जो आवंटन के आधार पर दायर किया गया था। इन तथ्यों पर यदि गौर किया जावे, तो उक्त आवंटन भी विधिक परीक्षण का मोहताज़ हैं। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा जो तथ्य प्रकट किए है, उनके अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा भूमि का बेचान हस्तान्तरण किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध सीलींग प्रकरण विचाराधीन होना बताया है। इस कारण प्रकरण को सीलिंग प्रकरण के निस्तारण तक Keep in abeyance रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इस रूप में निर्णीत की जाती है कि ग्राम अटबडा तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 2493 पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 19.04.2011 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सीलिंग प्रकरण के अन्तिम निर्णय तक Keep in abeyance रखा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में जो तथ्य प्रकट हुए है, उनको दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार सोजत को निर्देश दिए जाते है कि

अति० जिला कलेक्टर, पाली

वे प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम अटबडा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1358 की भूमि में किए गए आंवटन का विधिक परीक्षण करें तथा विधि विरूद्ध आवंटन पाए जाने पर आवंटन को निरस्त करने हेतु समस्त दस्तावेजात् की पूर्ति करते हुए राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। निर्णय की सत्य प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार सोजत को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली